किस्म मुकदमा......धारा 111,128 RLR Act अनवान– फुलवन्ती बनाम तहसीलदार सिवाना वगैरह मु.नं. 152/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | पत्रावली पेश हुई।<br><br>प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।<br><br>लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम इन्द्राणा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 2010/1331, 2011/1331, 2012/1331 व 2013/1331 रकबा क्रमशः 01.9424, 0.3238, 0.4857 व 0.6475 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 2000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगें। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे।<br><br>पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Surendra Singh Khangarot<br>Date: 2025.05.20 20:13:53 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>सिवाना (बालोतरा) | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

क्रमांकः वाद / 2025 / 687 दिनांक : 09-04-2025

| प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| फुलवन्ती पत्नी अजय कुमार वगैरह | | तहसीलदार सिवाना वगैरह |

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी**

राजस्व आवेदन संः–152 / 2024 दिनांकः–01.04.2025

## –:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम इन्द्राणा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 2010 / 1331, 2011 / 1331, 2012 / 1331 व 2013 / 1331 रकबा क्रमशः 01.9424, 0.3238, 0.4857 व 0.6475 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 2000 / –प्रार्थीगण अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाद / 2024 / 688 दिनांक : 09-04-2025

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आव"यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी इन्द्राणा को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. श्री फुलवन्ती पत्नी अजय कुमार जाति मेघवाल निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा को सूचनार्थ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.05.20 20:13:53 IST
Reason: SelfAttested